उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-149/2015/9062/62-2-2015-16एम0आई0/2015
लखनऊ: दिनांक: 14 दिसम्बर,2015

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से लघु सिंचाई विभाग के निम्नलिखित अधिशासी अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में उल्लिखित खण्डों में तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0सं0	अधिशासी अभियंता का नाम	तैनाती का खण्ड
1	2	3
1-	श्री हरीश चन्द्र गुप्ता	लघु सिंचाई खण्ड, बस्ती
2-	श्री द्वारिका प्रसाद	लघु सिंचाई खण्ड, झॉसी
3-	श्री विजय शंकर	लघु सिंचाई खण्ड, हमीरपुर
4-	श्री अखिलेश कुमार	लघु सिंचाई खण्ड, शामली
5-	श्री विनोद कुमार यादव	लघु सिंचाई खण्ड, हापुड
6-	श्री महेन्द्र सिंह	लघु सिंचाई खण्ड, गाजियाबाद
7-	श्री राजेन्द्र सिंह	लघु सिंचाई खण्ड, गोरखपुर
8-	श्री मृत्युंजय कुमार	लघु सिंचाई खण्ड, फैजाबाद

2- श्री मृत्युंजय कुमार, अधिशासी अभियंता द्वारा शासन के अग्रिम आदेशों अथवा अधिशासी अभियंता की नियमित तैनाती होने तक लघु सिंचाई खण्ड, आजमगढ के पद के दायित्वों का निर्वहन भी किया जायेगा। इस हेतु श्री मृत्युंजय कुमार, अधिशासी अभियंता को कोई अतिरिक्त् वेतन एवं भत्ता देय नही होगा।

3- उक्त के अतिरिक्त लघु सिंचाई जनपद उन्नाव में सहायक अभियंता की नियमित तैनाती होने तक अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक श्री द्वारिका प्रसाद, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई जनपद उन्नाव के पद एवं दायित्वों का निर्वहन अतिरिक्त रूप से यथावत करते रहेगें। इस हेतु श्री द्वारिका प्रसाद, अधिशासी अभियंता को कोई अतिरिक्त् वेतन एवं भत्ता देय नही होगा।

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव।
2----/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-149/2015/9062(1)/62-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी।

4- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।

5- संबंधित अधिकारी।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।